भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 800
25 जुलाई, 2025 को जवाब दिया

ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों का विकास

800. श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चाः

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर सिक्किम में, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के विकास हेतु प्रारंभ की गई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार, विशेष रूप से सिक्किम पर केंद्रित करते हुए, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों, विशेष रूप से महिलाओं, की सिक्किम सहित राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार अनुसूचित जनजाति समुदायों को लक्षित करते हुए हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाओं को क्रियान्वित करने की योजना बना रही है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों और सिक्किम सहित देश भर में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना;
3. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम;
4. व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना;

उपरोक्त योजनाओं के तहत कच्चे माल, करघे, सहायक उपकरण और टूलकिट की खरीद, डिजाइन नवाचार, उत्पाद विविधीकरण, अवसंरचना विकास, घरेलू और विदेशी बाजारों में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की मार्केटिंग, रियायती दरों पर ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इन क्षेत्रों में वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बजट आबंटित नहीं किया जाता है। संबंधित योजनाओं के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर पात्र हथकरघा एजेंसियों को विभिन्न इंटरवेंशन्स के लिए निधियां जारी की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के तहत जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**जारी/उपयोग की गई निधियां**
2020-21	392.98
2021-22	651.86
2022-23	428.60
2023-24	465.85
2024-25	486.35

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की योजनाओं के तहत महिला बुनकरों/कारीगरों सहित लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ): अनुसूचित जनजाति के समुदायों को प्रोत्साहित करने हेतु, वस्त्र मंत्रालय उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने और उसे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। सिक्किम सहित देश भर में अनुसूचित जनजाति के बुनकरों/कारीगरों को प्रदान किए जाने वाले कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

- हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की योजनाओं के तहत उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के बुनकर/कारीगर शामिल हों।

- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत वर्कशेड के निर्माण के लिए बीपीएल/एससी/एसटी/महिला/ट्रांसजेंडर/दिव्यांग बुनकरों के लि 100% सब्सिडी उपलब्ध है।

अनुबंध-I

दिनांक 25-07-2025 को राज्य सभा के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 800 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की योजनाओं के तहत महिलाओं सहित बुनकरों/कारीगरों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	लाभान्वित बुनकर	लाभान्वित कारीगर
1.	आंध्र प्रदेश	85,201	17,597
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,356	2,500
3.	असम	46,120	21,163
4.	बिहार	5,968	15,111
5.	छत्तीसगढ	7,509	4,530
6.	दिल्ली	172	12,965
7.	गोवा	27	2,120
8.	गुजरात	3,192	29,977
9.	हरियाणा	3,514	7,435
10.	हिमाचल प्रदेश	2,319	15,136
11.	जम्मू एवं कश्मीर	4,551	24,987
12.	झारखंड	5,713	9,674
13.	कर्नाटक	25,440	12,894
14.	केरल	17,140	10,331
15.	मध्य प्रदेश	4,657	42,740
16.	महाराष्ट्र	4,515	18,996
17.	मणिपुर	30,009	15,193
18.	मेघालय	494	4,426
19.	मिजोरम	2,617	2,350
20.	नागालैंड	1,073	4,730
21.	ओडिशा	34,538	16,210
22.	पुदुचेरी	1,520	4,460
23.	पंजाब	567	9,310
24.	राजस्थान	1,465	29,992
25.	सिक्किम	81	2,310
26.	तमिलनाडु	1,25,463	13,806
27.	तेलंगाना	44,871	8,984
28.	त्रिपुरा	1,749	16,230
29.	उत्तर प्रदेश	1,20,818	1,04,054
30.	उत्तराखंड	5,302	8,315
31.	पश्चिम बंगाल	55,964	14,531
32.	अखिल भारतीय (गैर-राज्य विशेष)	1,060	7,263
	कुल	**6,44,985**	**5,10,320**

इसके अलावा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 1,810 कारीगर, चंडीगढ़ में 750, दमन और दीव में 50 तथा लद्दाख में 3,264 कारीगर लाभान्वित हुए।

नोट: हथकरघा बुनकर आबादी का 71% और कारीगर आबादी का 64% महिलाएं हैं, इसलिए अधिकतम लाभ महिला बुनकरों/कारीगरों को दिया जा रहा है।

****